न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

रामपाल **बनाम** कश्मीर

विशे
विवर

35/24 प्रा.प.

आज्ञा या ...ही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है आ.ता. पेशी पर बहस नहीं करने पर प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर निस्तारित कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
6/7/24	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण की अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/7/2024 को पेश हो।	
6/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :— सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या— 89 / 2022

रामपाल पुत्र श्यामलाल निवासी कुडावतों की ढाणी, ग्राम टाडावास, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पुत्र श्री गिरधारी,
2. उदाराम पुत्र श्यामलाल,
3. कन्हैयालाल पुत्र चंदा,
4. कमल पुत्र घीसाराम,
5. गजानन्द पुत्र घीसाराम,
6. गोविन्द पुत्र घीसाराम,
7. टीना पुत्री उमराव सिंह नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नाना देवी,
8. नाना देवी पत्नि उमराव सिंह
9. नारंगी देवी पत्नि गिरधारी लाल,
10. पूजा यादव पुत्री लालचंद,
11. पप्पू पुत्र हनुमान,
12. बाबूलाल पुत्र हनुमान,
13. बिदामी पत्नि हनुमान,
14. मुरारी पुत्र घीसाराम
15. मोहन यादव पुत्र लालचंद,
16. रतन पुत्र घीसाराम,
17. रामवतार पुत्र हनुमान,
18. विकास पुत्र गिरधारी लाल
19. शिम्भूदयाल पुत्र हनुमान
20. सुमित्रा देवी पत्नि लालचंद
21. आंची पुत्री घीसाराम
22. राजू पुत्री घीसाराम
23. रामगोपाल पुत्र रामेश्वरलाल
24. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वरलाल
25. सोनी देवी पुत्री घीसाराम जिला—जपपुर राज.।
    समस्त निवासीगण कुडावतों की ढाणी ग्राम टाडावास, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान ।
26. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
27. तहसीलदार, तहसील जालसू, जिला जयपुर ।

.....अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 26.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या – 01 (एक) ता 20 (बीस) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या – 209 (नया) 195 (पुराना) खसरा नम्बर–414 रकबा 0.0100 है0, नम्बर–415/1157 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर – 415/918 रकबा 0.3300 है0, खसरा नम्बर–416/919 रकबा 0.5400 है0, नम्बर–417/920 रकबा 0.6500 खसरा है0, खसरा नम्बर–418/1046 रकबा 0. 2000 है0, खसरा नम्बर – 472/1058 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर – 500/1071 रकबा 0.0400 है०, खसरा नम्बर–864 रकबा 0.5900 है0, खसरा नम्बर – 865 रकबा 0.1300 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.6700 हैक्टेयर ग्राम टाडावास, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 01 (एक) का 1/72 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 02 (दो) का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 03 (तीन) का 1/72 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 04 (चार) का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 05 (पांच) का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 06 (छ) का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 07 (सात) से 10 (सात) (ग्यारह) से 13 (तरह) का 1/72–1/72 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 11 का 1/24–1/24 हिस्सा, हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 15 (पन्द्रह) का 1/72 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 16 (सोलह) का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 17 (सत्रह) का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 18 (अठारह) का 1/72 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या–19) (उन्नीस) का 1 /24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या – 20 (बीस) का 1/72 हिस्सा, निहित है । उक्त खाते में 1/18 हिस्सा सूटी देवी पत्नि घीसाराम का निहित है जिसका देहांत हो चुका है तथा उक्त सूटी देवी का हिस्सा उसके वारिसान प्रतिवाद संख्या 04, 05, 06, 14, 16 में निहित हो गया है, इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या – 01 (एक) ता 20 (बीस) अपने–अपने हिस्से पर मनबट के आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या – 14 (चौदह) का 1/18 यह कि कृषि भूमि खाता संख्या – 210 (नया) 196 (पुराना) खसरा रकबा 0.6300 है०, खसरा नम्बर–861 नम्बर–863 रकबा 0.5400 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1700 हैक्टेयर वाके ग्राम टाडावास, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या – 01 ता 25 उपरोक्तानुसार अपने–अपने हिस्से पर मनबंट के आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे है । यह कि प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 25 से उक्त आराजीयात् का विधिवत् बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या – 01 ता 25 हर बार बहाना बनाकर समय मिलने पर तकासमा करने का आश्वासन देते रहे। अप्रार्थी संख्या – 11 द्वारा तकासमें से पूर्व ही खसरा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नम्बर–417/920 व खसरा नम्बर – 418/1046 में निर्माण कार्य करने के आशय से नाप जोप कर मौके निर्माण सामग्री डलवा ली । दिनांक 27.05.2024 को अप्रार्थी संख्या – 11 द्वारा अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलकर विवादित कृषि साथ मिलकर विवादित कृषि भूमि की नाप जोख की जा रही थी, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से उक्त नाप जोख करने के बाबत पूछा गया तो अप्रार्थी संख्या – 11 ने प्रार्थी को धमकी देते हुए कहा कि हम उक्त कृषि भूमि पर मकान बना कर बेचान करेंगे, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कृषि भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाने का निवेदन किया व बिना बंटवारा विवादित कृषि भूमि में निर्माण कार्य करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या–11 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते व कहा कि इस जमीन पर हम कुछ भी कर सकते है, तुम हमें नहीं रोक सकते, हमारे काम में टांग अडाने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, हम इस जमीन में बिना बटवारे के निर्माण कार्य भी करेंगे और इस जमीन का बेचान भी करेंगे तथा प्रार्थी से लडाई–झगडा करने पर अमादा हो गया, जिस कारण आसपास के कई लोग एकत्रित हो गये जिनके आ जाने से उक्त समय तो अप्रार्थीगण मौके से चले गये लेकिन अप्रार्थी संख्या – 11 जाते–जाते प्रार्थी को धमकी दे गया कि मैंने अन्य अप्रार्थीगण को भी मेरे साथ मिला लिया है तथा हम शीघ्र बिना बंटवारा किये उक्त भूमि पर निर्माण करेंगे तथा उक्त भूमि का बेचान भी भूमाफिया प्रवृति के लोगों को कर देंगे तथा एक जगह पर ही कब्जा भी खरीददार को संभला देंगे।

अप्रार्थीगण सं0 11 के उपरोक्त कृत्य से उपरोक्त कृषि . भूमि का विधिवत् बंटवारा किया जाना आवश्यक होने के साथ–साथ अप्रार्थीगण 01 (एक) ता 25 (पच्चीस) को उपरोक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का निर्माण किये जाने उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारे से पूर्व बेचान किये जाने व प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है यह कि प्रार्थी अधिकारी है कि उपरोक्त कृषि भूमि जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र के पैरा सं0 01 व 02 में किया गया है, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर प्रार्थी को उपरोक्तानुसार कृषि भूमि का अलग हिस्सा दिलवाया जावे एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा उपरोक्त कृषि भूमि में बंटवारे से पूर्व निर्माण नहीं करने एवं उपरोक्त कृषि भूमि को बंटवारे से पूर्व बेचान नहीं करने तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट करने व प्रार्थी को जबरन बेदखल करने से पाबंद किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 26 को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह बंटवारे से पूर्व विवादित आराजीयात् का विक्रय पत्र या अन्य कोई दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के नाम तस्दीक नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 27 को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह बंटवारे से पूर्व

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

विवादित आराजीयात् का नामांतकरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम तस्दीक नहीं करें। यह कि यदि अप्रार्थी सं0 01 लगायत 27 को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थी सं0 01 से 25 बटवारे से पूर्व ही विवादित आराजीयात पर निर्माण कार्य कर लेंगे तथा विवादित आराजीयात को बेचान कर देगें तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा अप्रार्थी सं0 26 के यहां विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर अप्रार्थी सं0 27 के यहां नामांतकरणं तस्दीक करवा देंगे, जिससे प्रार्थी अपने जायज अधिकारों से महरूम हो जावेगा व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं होगी तथा प्रार्थी का दावा दायरी का मकसद ही फौत हो जावेगा । इसलिए अप्रार्थी सं0 01 लगायत 27 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थीगण 1 से 25 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे केवल मात्र वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है बकिया मद हाजा के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र कानूनन चलने योग्य ही नही होने के कारण उसमे कतई सफलता प्राप्त नही हो सकती है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित आराजीयात के विवरण व हिस्से बाबत कोई विवाद नही है। उक्त आराजीयात का खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से मनबट के अनुसार विभाजन होकर सभी के काबिज काश्त होना स्वीकार है । सहखातेदार अशोक कुमार सूटी देवी का स्वर्गवास होने व उसके वारीसान बाबत अंकित विवरण स्वीकार है । यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है । उक्त आराजीयात का खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से मनबंट के अनुसार विभाजन होकर सभी के काबिज काश्त होना स्वीकार है । यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे अंकित विवरण गलत है अस्वीकार है। जब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 व 2 मे यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 ता 25 के मध्य पूर्व मे आपसी सहमति से मनबंट के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पूर्व मे हुये विभाजन की पालना हो गई है तो प्रार्थी द्वारा विधिवत विभाजन कराने हेतु कहने तथा मिन विपक्षीगण द्वारा विभाजन कराने हेतु आश्वासन देकर

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

टालने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी की बदनियती इसी बात से स्पष्ट है कि मद हाजा के किसी तारीख का उल्लेख नही किया गया है जिस दिन प्रार्थी द्वारा विधिवत तकास्मा कराने हेतु कहा हो तथा मिन विपक्षीगण द्वारा बहाना बनाकर टालमटोल की गई हो । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे विपक्षी संख्या 11 द्वारा तकासमे से पूर्व ही खसरा नम्बर–417 / 920 व खसरा नम्बर 418 / 1046 नाप जोख करने व निर्माण सामग्री डालने सम्बधी तथ्य असत्य व आधारहीन होने से अस्वीकार है । मद संख्या 6 में दिनांक 27.05.2024 के सम्बंध मे अंकित विवरण नुमाईशी व आधारहीन केवलमात्र दावा दायरी हेतु नुमाईशी वाद कारण उत्पन्न करने की नियत से दर्ज किये गये है । प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने व विपक्षी सं. 11 द्वारा धमकी दिये जाने के कथन स्वयं प्रार्थी की पूर्व स्वीकारोक्ति के अनुसार असत्य व आधारहीन हो जाते है। जब प्रार्थी स्वयं मानता है कि आराजीयात का पूर्व मे ही आपसी सहमति से तकास्मा होकर सभी खातेदारान अपने हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा विपक्षी नम्बर 11 को अपने हिस्से व कब्जेशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी विपक्षीगण को पाबन्द कराने का कानूनन अधिकारी नहीं है। क्योकि सभी खातेदारान को बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने कब्जे हिस्से की सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करने व उसको डवलप करने का कानूनन हक प्राप्त है। सहखातेदार को पाबन्द करवाने का वादी को कोई हक नहीं है। पक्षकरान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 25 विवादित आराजी पर अपने–अपने हिस्से पर मनबंट के आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगण बिना विभाजन हुये कृषि भूमि पर मकान बना कर बेचान करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि कृषि भूमि में बंटवारे से पूर्व बेचान नहीं करे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की रुकावट करने व प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 25 वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदार एवं काश्तकार है, एक सहखातेदार द्वारा, दुसरे सहखातेदार को पाबंद करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है एवं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को रहवास के लिए मकान बनाने हेतु रोका जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि सभी पक्षकार मनबंट अनुसार काबिज काश्त है। जब सभी पक्षकार मनबंट अनुसार काबिज काश्त है तो अप्रार्थीगण को ऐसी स्थिति मे भी पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी को अपना वाद अभी साबित करना शेष है अप्रार्थीगण ने अपने कथनो व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित किया है कि उसके पुराने जर्जर कच्चे झोपडीनुमा घर जो कि काफी पुराने व टुट चुके है इसलिए रहवास के लिए पक्के निर्माण की आवश्यकता है। तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मय शपथ पत्र में भी यह स्वीकार किया है कि वे आराजी कृषि भूमि का बेचान नहीं करना चाहते है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। प्रार्थी ने यह साबित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कर रहे हो। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर